अध्याय - 2

अध्याय-2

2 सरकारी कंपनियों से संबंधित लेखापरीक्षा

2.1 झारक्राफ्ट द्वारा ऊनी कंबल के उत्पादन और परिवहन की लेखापरीक्षा - ₹ 18.41 करोड़ का कपटपूर्ण भुगतान

झारक्राफ्ट के अधिकारियों ने 8.89 लाख कंबल के लिये ऊनी धागे, मजदूरी, परिष्करण और परिवहन से संबंधित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ₹ 18.41 करोड़ का कपटपूर्ण भुगतान किया।

श्रम, नियोजन और प्रशिक्षण विभाग (श्रम विभाग), झारखण्ड सरकार ने झारखण्ड रेशम, वस्त्र एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड (झारक्राफ्ट) को, जो कि एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, ₹ 29.48 करोड़ मूल्य के 9,82,717 ऊनी कंबल[1] की आपूर्ति का आदेश दिया (नवंबर 2016 और मई 2017)।

तदनुसार, झारक्राफ्ट ने कुल ₹ 15.54 करोड़ मूल्य के धागे की आपूर्ति के लिए एनएएन वूलन मिल्स, पानीपत (18.64 लाख किलोग्राम) और उन्नति इंटरनेशनल, पानीपत (2.94 लाख किग्रा) को आदेश[2] (मई 2016 से सितंबर 2017) दिया। राज्य के आठ जिलों में स्थित 62 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी)/प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों (पीडब्ल्यूसीएस) जिनके पास ऊनी कंबल बुनाई की सुविधा थी, को धागे वितरित किया जाना था। एसएचजी /पीडब्ल्यूसीएस की निगरानी 27 क्लस्टर प्रबंधकों द्वारा की जाती है जो उप महाप्रबंधक (डीजीएम), हैंडलूम, झारक्राफ्ट को रिपोर्ट करते हैं। इसके बाद अर्ध-परिष्कृत कंबल नूतन इंडस्ट्रीज, पानीपत द्वारा धोए एवं परिष्कृत किये जाने थे। झारखण्ड के विभिन्न जिलों में गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे रहने

---

[1] ₹ 300 प्रति कंबल की दर से, प्रत्येक कम्बल की माप 60" x 90" और वजन - 2 किलो

[2] राष्ट्रीय हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएचडीसी) को 15.34 लाख किग्रा धागे की आपूर्ति का आदेश दिया गया, जो भारत सरकार की धागा आपूर्ति योजना अंतर्गत इसके सूचीबद्ध विक्रेताओं से उनके द्वारा निविदित दर पर धागा खरीद पर सब्सिडी प्रदान करता है। झारक्राफ्ट द्वारा एनएचडीसी को दिए गए आपूर्ति आदेशों में या तो अधिमान्य आपूर्तिकर्ता (एनएएन/उन्नति) के नाम का उल्लेख या आपूर्तिकर्ता द्वारा उद्धृत मूल्य का उल्लेख किया जाता था। विक्रेताओं को धागों की आपूर्ति सीधे झारक्राफ्ट को करनी थी तथा भुगतान एनएचडीसी के माध्यम से किया जाना था (सब्सिडी में कटौती के बाद, सीधे एनएचडीसी द्वारा विक्रेताओ को भुगतान किया जाना था)। इसके अलावा, झारक्राफ्ट द्वारा सब्सिडी प्राप्त किए बिना सीधे एनएएन से 6.24 लाख कि.ग्रा.धागों की खरीद की गई।

वाले लोगों को कम्बल वितरण के लिए सुपर हरियाणा रोड लाइन्स, पानीपत और स्पीड फास्ट कूरियर और कार्गो सर्विसेज, रांची द्वारा तैयार कंबल को परिवहन किया जाना था। उपरोक्त सभी फर्म नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा सूचीबद्ध (धागे की आपूर्ति के लिए) थे या निविदा के माध्यम से झारक्राफ्ट द्वारा चुने गए थे। झारक्राफ्ट ने ₹ 19.39 करोड़[3] का व्यय जनवरी 2018[4] तक किया।

लेखापरीक्षा से ज्ञात होता है कि अधिकृत लेन-देन एक कपोल कल्पित कहानी थी और झारक्राफ्ट के अधिकारियों द्वारा कहीं और से निम्न कोटि के कंबल खरीद कर उपायुक्तों के माध्यम से 24 जिलों में बीपीएल श्रेणी के लाभुकों में वितरित किया गया था। इस निष्कर्ष का समर्थन करने वाले लेखापरीक्षा साक्ष्य नीचे वर्णित हैं:

2.1.1 धागों की खरीद में गुणवत्ता और मात्रा सुनिश्चित करने में विफलता

जैसा कि नीचे चर्चा की गई है, ऐसा कोई साक्ष्य यह दर्शाने के लिए नहीं था कि एसएचजी/पीडब्ल्यूसीएस को कथित रूप से आपूर्ति की गई ऊनी धागा तय मात्रा और गुणवत्ता के अनुरूप थी।

✓ प्रबंध निदेशक, झारक्राफ्ट ने श्रम विभाग को आश्वस्त किया था (जून 2017) कि रांची के इरबा में स्थित झारक्राफ्ट के केन्द्रीय भंडार में गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए पांच तकनीकी कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके अलावा, क्लस्टर में केवल क्लस्टर प्रबंधक थे, जो गैर-तकनीकी व्यक्ति थे। तदनुसार, आपूर्ति आदेश में यह निर्धारित था कि 15.24 लाख किग्रा धागा की आपूर्ति केंद्रीय भंडार में किया जाना था। इसके बावजूद, अभिलेखों में बिना कारण बताये[5], धागों को पानीपत से सीधे झारक्राफ्ट के 27 क्लस्टरों में

---

[3] विभाग द्वारा ₹ 6.85 करोड़ प्रदान किए गए (जुलाई 2017), प्रबंध निदेशक के आदेशों के तहत ₹ 4.54 करोड़ स्वयं के स्रोत से तथा ₹ 8.00 करोड़ रुपए सेरीकल्चर योजना के तहत उपलब्ध धनराशि से विचलन (जुलाई 2017 और नवंबर 2017) कर किया गया, जिसे अभी तक प्रतिपूर्ति किया जाना बाकी है।

[4] यार्न के लिए ₹ 14.53 करोड़, पर्यवेक्षण शुल्क सहित बुनकरों के मजदूरी के लिए ₹ 2.39 करोड़, कम्बल के परिष्करण के लिए ₹ 1.36 करोड़ और परिवहन के लिए ₹ 1.10 करोड़

[5] तथापि, डीजीएम, हैंडलूम, जो कि कंबल उत्पादन के परिचालन प्रमुख के रूप में उत्तरदायी थे, आपूर्ति आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने में या तकनीकी कर्मियों के माध्यम से गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने में विफल रहने के लिए उत्तरदायी थे

आपूर्ति (जून 2106 से अक्टूबर 2017) किया गया दर्शाया[6] गया था। पुनः, अभिलेखों में बिना कारण बताये, अतिरिक्त आपूर्ति आदेशों[7] में विक्रेताओं को धागों की आपूर्ति सीधे क्लस्टर में करना निर्धारित किया गया था। चूंकि क्लस्टरों में गुणवत्ता नियंत्रण करने के लिए तकनीकी कर्मचारी उपलब्ध नहीं थे, इसलिए क्लस्टर को सीधे आपूर्ति की गई धागा की गुणवत्ता की जाँच नहीं की जा सकती थी।

✓ इसके अलावा, झारक्राफ्ट मुख्यालय में धागा की प्राप्ति का भंडार लेखा केवल बिक्री चालानों[8] पर आधारित था और यह साबित करने के लिए कोई अभिलेख नहीं था कि विपत्र में उल्लिखित वस्तुओं और मात्राओं को वास्तव में पहुँचाया गया था।

2.1.2 ट्रांसपोर्टरों की अनियमित नियुक्तियां

ट्रांसपोर्टरों की गैर-प्रतिस्पर्धी और अनधिकृत नियुक्ति के परिणामस्वरूप ₹ 1.10 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ

जैसा कि उपरोक्त अनुच्छेद 2.1 में उल्लिखित है, झारक्राफ्ट ने सुपर हरियाणा रोड लाइन्स, पानीपत और स्पीड फास्ट कूरियर और कार्गो सर्विसेज, रांची को ट्रांसपोर्टर के रूप में चुना (मार्च 2017)। सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना, डीजीएम हैंडलूम ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा चुने गए दो फर्मों के बजाय चार अन्य फर्मों जैसे कि हरियाणा गुड्स ट्रांसपोर्ट कं, पानीपत; हरियाणा ट्रांसपोर्ट कं, पानीपत; हरियाणा गोल्डन रोड लाइन, करनाल और श्री गणेश ट्रांसपोर्ट कं, करनाल को ऊनी धागे/अर्द्ध-परिष्कृत कम्बल/तैयार कम्बलों के परिवहन के लिए नियुक्त किया। इन चार फर्मों में से किसी ने भी निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लिया था और इन अयोग्य फर्मों का चयन डीजीएम हैंडलूम ने कैसे और क्यों किया इस सम्बन्ध में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था। इसके बाद, भुगतान के समय प्रबंध निदेशक ने डीजीएम हैंडलूम से स्पष्टीकरण माँगा, जिसने उस वक्त आपात स्थिति और विभिन्न उपायुक्तों द्वारा निर्धारित समय के भीतर कंबल की आपूर्ति करने के दबाव के कारण अनाधिकृत और अनियमित चयन को उचित ठहराया। फलतः, प्रबंध निदेशक ने ₹ 1.10 करोड़ (तालिका 2.1) के भुगतान की अनुमति प्रदान कर दी (अप्रैल 2017 से नवंबर 2017 के दौरान)।

---

[6] झारक्राफ्ट मुख्यालय में संधारित भंडार खाते में, आपूर्तिकर्ता तथा परिवाहकों के चालान में

[7] 6.34 लाख कि.ग्रा.के लिए सहायक महाप्रबंधक, हैंडलूम या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध निदेशक द्वारा जारी।

[8] एनएचडीसी या विक्रेता द्वारा जारी (उन मामलों में जहां खरीदारी एनएचडीसी के माध्यम से नहीं की गई थी)।

हालांकि, डीजीएम हैंडलूम द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण बाद में सोचकर दिया गया था क्योंकि ऐसा कोई प्रमाण मौजूद नहीं था जो साबित करता हो की आपात स्थिति या उपायुक्तों के अनुचित दबाव के कारण ऐसा किया गया था। इसलिए प्रबंध निदेशक द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से दिया गया अनुमोदन अनियमित था।

तालिका 2.1: परिवहन शुल्क राशि की विवरणी

(₹ लाख में)

क्रं. सं.	परिवाहक का नाम	बकाया परिवहन शुल्क	भुगतान किया गया परिवहन शुल्क	बकाया परिवहन शुल्क[9]
1	हरियाणा गुड्स ट्रांसपोर्ट कं., पानीपत	207.83	55.56	152.27
2	श्री गणेश परिवहन कं., करनाल	60.90	33.21	27.69
3	हरियाणा ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, पानीपत	33.59	शून्य	33.59
4	हरियाणा गोल्डन रोड लाइन्स, करनाल	21.47	21.47	शून्य
	कुल	**323.79**	**110.24**	**213.55**

2.1.3 परिवहन चालान और रोड परमिट में विसंगतियां

जनवरी 2017 से दिसंबर 2017[10] की अवधि के लिए अभिलेखों के लेखापरीक्षा जाँच में निम्नलिखित को इंगित करते हैं:

- 143 वाहनों ने पानीपत से 18.84 लाख किलोग्राम धागों को 27 क्लस्टरों तक ले जाने के लिए 319 यात्राएं कीं;
- 105 वाहनों ने 27 क्लस्टरों से पानीपत तक 8.50 लाख अर्ध-परिष्कृत कंबल ले जाने के लिए 264 यात्राएं की;

[9] लेखापरीक्षा अवलोकनों के बाद, विकास आयुक्त, झारखण्ड ने इस योजना के तहत आगे के सभी भुगतान को रोकने का आदेश दिया (फरवरी 2018)।

[10] लेखापरीक्षा क्षेत्र इस अवधि तक सीमित था, न कि पहले या बाद की अवधि के लिए

- 65 वाहनों ने 6.75 लाख तैयार कम्बलों को बीपीएल लाभुकों के बीच वितरण करने के लिए पानीपत से झारखण्ड के सभी 24 जिलों में पहुँचाने के लिए 127 यात्राएं की।

लेखापरीक्षा में परिवहन चालानों[11] के नमूना जाँच में तथा उनकी वाणिज्य कर विभाग (सीटीडी)[12] द्वारा जारी रोड परमिट के साथ मिलान करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं सामने आईं:

अल्पावधि में वाहनों के परिचालन से संकेत संबंधित अभिलेखों से मिलता है कि कच्चे माल और अर्ध-निर्मित कम्बलों का परिवहन असंभव था।

✓ 27 जुलाई 2017 से 10 सितंबर 2017 की अवधि के दौरान, 12 वाहनों[13] द्वारा पानीपत से झारखण्ड की प्रथम यात्रा के दौरान महज एक से पांच दिनों के अन्दर 2,366 किमी से 3,134 किमी की दूरी, दूसरी यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व दो बार वापसी यात्रा तय किये जाने को अभिलेखित किया गया था ***(परिशिष्ट 2.1.1)***। इससे वाहनों की यात्रा गति प्रति घंटा[14] 48 किमी से 261 किमी प्रति घंटा आती है, जो कि भारत में ट्रकों की औसत यात्रा गति[15] (20-40 किमी प्रति घंटा) से काफी अधिक था। अतः यह स्पष्ट है कि ये यात्राएँ वास्तव में नहीं हुई थी।

✓ आठ वाहनों के सन्दर्भ में, जिनके द्वारा अवधि 27 जून 2017 से 30 जून 2017 के दौरान धागों[16] के परिवहन किये जाने का दावा किया गया था, झारक्राफ्ट में उपलब्ध सम्बंधित परिवहन चालानों में उल्लिखित वाहन संख्या वाणिज्य कर विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा जारी रोड परमिट में उल्लिखित वाहन संख्या से मेल नहीं खाता था ***(परिशिष्ट 2.1.2)***। इससे यह स्पष्ट है कि रोड परमिट का उपयोग झारक्राफ्ट को आपूर्ति किए जाने वाले धागों के परिवहन के लिए नहीं किया गया था जैसा कि दावा किया गया।

---

[11] सामान क्लस्टर को पहुँचाया गया, लेकिन चालान झारक्राफ्ट मुख्यालय में उपलब्ध

[12] 28 अगस्त 2014 से 1 जुलाई 2017 के बीच (जब जीएसटी की शुरुआत के बाद सड़क परमिट की व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी) सीटीडी के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सड़क परमिट जारी किए गए थे। झारक्राफ्ट ने अपने यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर प्रत्येक प्रेषित सामग्री के लिए सामग्री, प्रेषक, प्रेषण की जगह, पहुंचाने की जगह इत्यादि के विवरण के साथ विशिष्ट सड़क परमिट संख्या बना कर इसके लिंक को प्रेषक को भेजा ताकि प्रेषक पोर्टल का उपयोग कर उसमें वाहन संख्या, सामग्री भेजने की तिथि आदि उसमें दर्ज कर सके। सीटीडी चेकनाका को पार करने के लिए इसकी एक मुद्रित प्रति वाहन के चालक के साथ भेजी गई।

[13] ₹ 1.05 करोड़ मूल्य के 1.46 लाख किलो धागे को ले जाने में

[14] यह मानते हुए कि प्रतिदिन 12 घंटे की यात्रा की गयी

[15] भारत में वस्तुओं के आवाजाही के लिए भारत के खुदरा विक्रेता एसोसिएशन के दिसम्बर 2013 में प्रकाशित प्रतिवेदन के अनुसार

[16] 0.48 लाख किग्रा धागे (मूल्य ₹ 0.35 करोड़)

✓ अभिलेखों से संकेत मिला कि 26 सितम्बर 2017 से 26 अक्टूबर 2017 के बीच तीन वाहनों से 21,071 अर्ध-परिष्कृत कम्बलों को भेजे जाने का दावा किया गया। हालांकि, परिवहन चालानों[17] की लेखापरीक्षा जांच में निम्नलिखित तथ्य पाये गये: (i) अलग-अलग क्लस्टरों तथा अलग-अलग वाहनों के लिए जारी किये गये परिवहन चालानों में हस्तलेखन समान थे, जिसे स्पष्टत: देखा जा सकता था, जो यह संकेत करता है कि परिवहन चालान नकली बनाये गये थे; (ii) एक ही दिन यात्रा करने वाले और एक ही वाहन के चालकों के नाम संबंधित परिवहन चालानों में भिन्न थे; (iii) विभिन्न परिवहन चालानों में दावा किया गया कि तीनों वाहनों में से प्रत्येक ने विभिन्न जिलों में स्थित दो क्लस्टरों (जिनकी दूरी 60 किमी, 227 किमी और 461 किमी) में एक ही दिन में यात्रा किया था जो सम्भव नहीं था (iv) इसके अलावा, परिवहन चालान के अनुसार प्रत्येक वाहन द्वारा निर्धारित स्थानों से निर्दिष्ट स्थानों तक (यानि संबंधित क्लस्टर से पानीपत तक) सामग्री ढुलाई का दावा किया गया था, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक वाहन प्रति यात्रा एक से अधिक क्लस्टर नहीं गए थे ***(परिशिष्ट 2.1.3)***।

✓ झारखण्ड वैल्यू एडेड टैक्स नियम, 2006 यह निर्धारित करता है कि सीटीडी चेक पोस्ट रोड परमिट में लिखी घोषणाओं को प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे और अपनी आधिकारिक मुहर लगाएंगे। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि जनवरी 2017 से जून 2017 की अवधि के लिए 92 रोड परमिटों में से किसी में भी अनिवार्य प्रतिहस्ताक्षर और सीटीडी का आधिकारिक मुहर नहीं लगा था। इससे यह स्पष्ट है कि इन रोड परमिट का उपयोग धागों/ अर्ध-परिष्कृत कंबल/परिष्कृत कंबल के परिवहन के लिए नहीं किया गया था और यह संकेत देता है कि ये दस्तावेज काल्पनिक थे।

2.1.4 टोल प्लाजा डेटा के संदर्भ में विसंगतियां

परिवहन चालान के आधार पर लेखापरीक्षा ने (i) पानीपत के फर्मों से खरीदी गयी ऊनी धागों; (ii) झारखण्ड के विभिन्न क्लस्टरों से धुलाई और परिष्करण के लिए पानीपत भेजे गये अर्ध-परिष्कृत कम्बलों; और (iii) परिष्कृत कम्बलों

[17] इस अवधि के लिए रोड परमिट की जांच नहीं की जा सकी क्योंकि रोड परमिट बनाने की प्रणाली को 1 जुलाई 2017 के बाद ख़त्म कर दिया गया।

को पानीपत से 24 जिलों के उपायुक्तों को बीपीएल श्रेणी के लाभुकों के बीच वितरण के लिए भेजे गये, कथित परिवहनों का एक डाटाबेस तैयार किया।

लेखापरीक्षा ने इन वाहनों की पंजीकरण संख्या का मिलान एनएच-2 पर स्थित बिहार के सासाराम टोल प्लाजा, एनएच-709 पर स्थित दाहर टोल प्लाजा और एनएच-1 पर स्थित वैकल्पिक भागन टोल प्लाजा[18] (दोनों हरियाणा में) के टोल डाटा[19] से किया। पानीपत और झारखण्ड के बीच यात्रा करने वाले वाहनों के लिए एनएच-2 पर सासाराम होते हुए जो मार्ग है वह सबसे उपयुक्त और सबसे कम दूरी वाला मार्ग[20] है जैसा नीचे चित्र 2.1.1 में दिखाया गया है। लेखापरीक्षा ने इसलिए माना है कि, यद्यपि कुछ वाहनों द्वारा अन्य मार्गों का उपयोग किया गया हो, परन्तु यह सम्भव नहीं था कि किसी भी वाहन द्वारा सासाराम होते हुए सबसे कम दूरी और सबसे उपयुक्त मार्ग का उपयोग नहीं किया जाए। लेखापरीक्षा ने यह भी अनुमान लगाया कि पानीपत से झारखण्ड के लिए जाने वाले ट्रक एक दिन[21] में दाहर या भागन टोल प्लाजा पार करेंगे और पानीपत और सासाराम की दूरी कुल तीन दिनों[22] में तय करेंगे।

---

[18] चूंकि भागन टोल प्लाजा 23 अक्टूबर 2017 से परिचालित हुआ था, इसलिए टोल डाटा इस तिथि से दिसंबर 2017 तक की अवधि के लिए एकत्र किया जा सका। हालांकि, झारक्राफ्ट के अभिलेखों के अनुसार इस अवधि के दौरान कोई धागा नहीं आया था।

[19] सासाराम टोल प्लाजा और दाहर टोल प्लाजा के लिये अवधि 01 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2017 और भागन टोल प्लाजा के लिये 23 अक्टूबर 2017 से 31 दिसंबर 2017 की अवधि का टोल डाटा भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा उपलब्ध कराया गया।

[20] पानीपत से झारखण्ड के बीच अन्य मार्गों से यात्रा तय करने पर वाहनों को 26 किमी से 402 किमी की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती।

[21] पानीपत से दाहर टोल प्लाजा 10 किमी और भागन टोल प्लाजा 93 किमी की दूरी पर है। दोनों स्थानों की दूरी को एक दिन में तय किया जा सकता था (झारक्राफ्ट के अभिलेख में बताये गए 48 से 261 किमी प्रति घंटे की अनुमानित गति की तुलना में औसतन 30 किमी प्रति घंटे की दर से प्रति दिन 12 घंटे की दूरी तय करने पर- उपरोक्त अनुच्छेद 2.1.3 देखा जा सकता है)।

[22] पानीपत से सासाराम टोल प्लाजा की दूरी 1,000 किमी है, जिसे तीन दिनों में तय किया जा सकता है।

चित्र 2.1.1: पानीपत - झारखण्ड मार्ग और टोल प्लाजा स्थानों को दर्शाता हुआ नक्शा

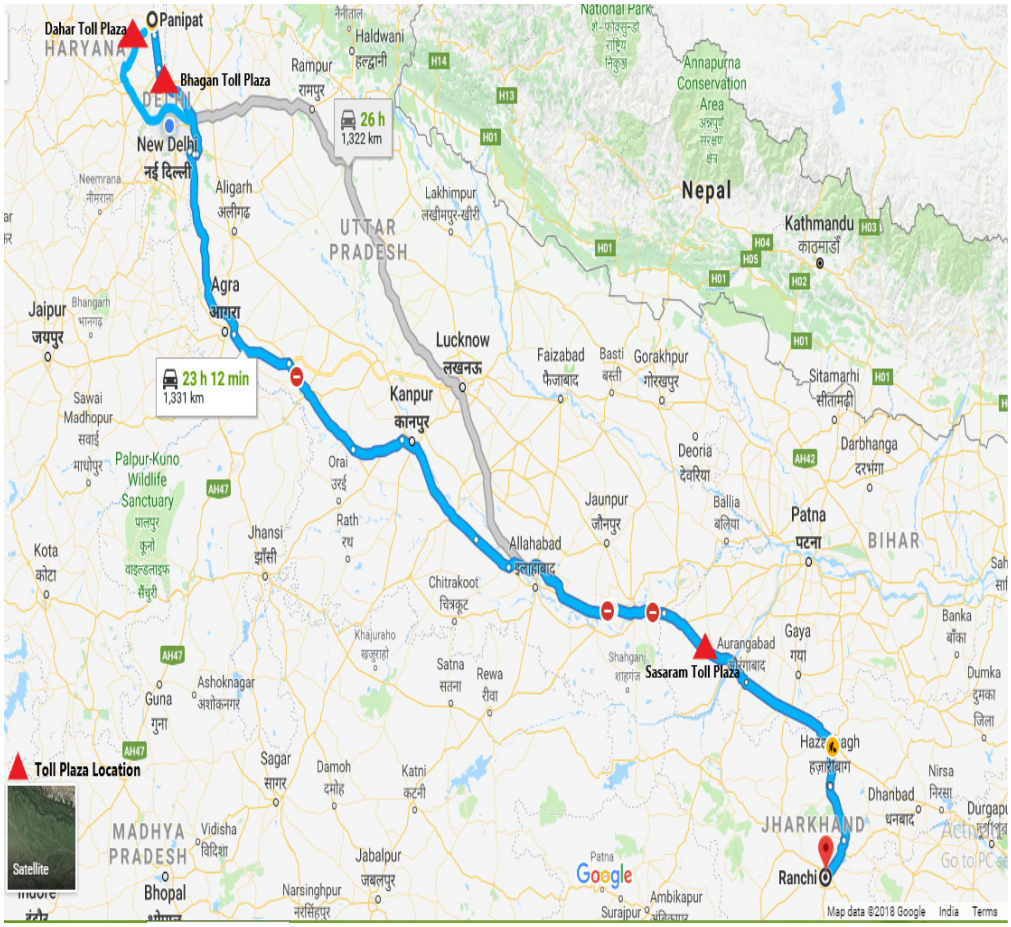

(स्रोत: गूगल मैप)

2.1.4.1 पानीपत से झारखण्ड तक ऊनी धागे ले जाने का दावा करने वाले वाहनों के परिवहन चालानों का टोल डेटा के साथ मिलान

परिवहन चालान के अनुसार, एक वाहन (एचआर 67ए 1061) ने कथित रूप से दिनांक 15 सितंबर 2017 को पानीपत से झारखण्ड के लिए ऊनी धागे की ढुलाई की थी। हालांकि, दाहर टोल डेटा से पता चला कि ट्रक 15 सितंबर को दाहर के मार्ग से गया था और 16 सितंबर को ही लौट आया था। इसके अलावा, वही ट्रक 19 सितंबर को दाहर को पार कर उसी दिन दाहर के मार्ग से लौट आया। पुनः, वही ट्रक 20 सितंबर 2017 को दाहर से निकलकर 21 सितंबर को लौट आया। इसलिए यह स्पष्ट है कि इस अवधि के दौरान ट्रक झारखण्ड नहीं गया था और परिवहन चालान काल्पनिक था।

2.1.4.2 झारखण्ड से पानीपत तक अर्ध-परिष्कृत कंबल ले जाने वाले वाहनों के परिवहन चालानों का टोल डेटा के साथ मिलान

23 अक्टूबर 2017 से 31 दिसंबर 2017 की अवधि के लिए टोल डेटा के साथ परिवहन चालानों के मिलान के परिणाम तालिका 2.2 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.2: परिवहन चालानों के अनुसार झारखण्ड से पानीपत तक अर्ध-परिष्कृत कम्बलों का परिवहन करने वाले वाहनों का विवरण और टोल डेटा के साथ मिलान

परिवहन चालानों के अनुसार संचालित यात्राओं की संख्या	परिवहन चालानों के अनुसार पानीपत को प्रेषित अर्ध-परिष्कृत कम्बलों की संख्या	टोल डाटा से मिलान के परिणाम		
		127 यात्राओं में से सासाराम टोल प्लाजा पार करने वाली यात्राओं की संख्या	सासाराम पार करने के बाद दाहर टोल प्लाजा पार करने वाली यात्राओं की संख्या	सासाराम पार करने के बाद भागन टोल प्लाजा पार करने वाली यात्राओं की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
83 ट्रकों द्वारा 127 यात्राएं	4,10,844	9	शून्य	शून्य

इसलिए यह स्पष्ट है कि 83 ट्रकों में से कोई भी झारखण्ड से पानीपत तक के लिए यात्राएँ नहीं की। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने यह पाया कि परिवहन चालान के अनुसार एक ट्रक (एचआर 67ए 3918) 16 सितंबर 2017 को डाल्टनगंज, झारखण्ड से निकला था। हालांकि, टोल डाटा दर्शाता था कि इस ट्रक ने उसी दिन दाहर को पार किया था (1,300 किमी की दूरी)। परिवहन चालानों से यह भी पता चला कि यही ट्रक (एचआर 67ए 3918) 26 सितंबर 2017 को एक बार फिर डाल्टनगंज से निकला था; यहाँ भी, टोल डाटा यह दर्शा रहा था कि यह ट्रक उसी दिन दाहर को पार किया था। पुनः, परिवहन चालान के अनुसार, एक दूसरा ट्रक (एचआर 67बी 6567) 29 सितंबर 2017 को गोड्डा, झारखण्ड से निकला था। हालांकि, टोल आंकड़ा यह दर्शा रहा था कि यह ट्रक उसी दिन उल्टी दिशा से (यानि पानीपत की ओर से) दाहर को पार किया था। इसलिए यह स्पष्ट है कि इन सभी परिवहन चालानों द्वारा जिसमे झारखण्ड के विभिन्न समूहों से पानीपत तक की 4,10,844 अर्ध-परिष्कृत कंबल की ढुलाई का दावा किया गया था, काल्पनिक था।

2.1.4.3 पानीपत से झारखण्ड तक तैयार कंबल ले जाने वाले वाहनों के परिवहन चालानों का टोल डेटा के साथ मिलान

23 अक्टूबर 2017 से 31 दिसंबर 2017 की अवधि के परिवहन चालानों का टोल डेटा के साथ मिलान के परिणाम तालिका 2.3 में दर्शाये गए हैं।

तालिका 2.3: परिवहन चालान के अनुसार पानीपत से झारखण्ड तक तैयार कंबल की ढुलाई करने वाले वाहनों का विवरण और टोल डेटा के साथ मिलान

परिवहन चालानों के अनुसार संचालित यात्राओं की संख्या	परिवहन चालानों के अनुसार पानीपत से प्रेषित तैयार कम्बलों की संख्या	टोल डाटा से मिलान के परिणाम		
		57 यात्राओं में दाहर टोल प्लाजा पार करने वाली यात्राओं की संख्या	भागन टोल प्लाजा पार करने वाली यात्राओं की संख्या	भागन या दाहर टोल प्लाजा पार करने के बाद सासाराम पार करने वाली यात्राओं की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
46 ट्रकों द्वारा 57 यात्राएं	4,49,762	शून्य	शून्य	शून्य

18.84 लाख किलोग्राम धागे के परिवहन का दावा करने वाले परिवहन चालान नकली थे

अत: यह स्पष्ट है कि परिवहन चालानों में किया गया दावा कि 18.84 लाख किलोग्राम धागे (₹ 13.56 करोड़ मूल्य के), 8.50 लाख अर्ध-परिष्कृत कंबल (₹ 18.42 करोड़ मूल्य के) और 6.75 लाख परिष्कृत कंबल (₹ 15.83 करोड़ मूल्य के) की झारखण्ड/पानीपत के बीच ढुलाई की गई थी, काल्पनिक था।

परिणामस्वरूप, 18.84 लाख किलोग्राम ऊनी धागे[23] की खरीद के लिए ₹ 13.56 करोड़ का भुगतान, ₹ 2.39 करोड़[24] के मजदूरी भुगतान, ₹ 1.36 करोड़[25] के परिष्करण शुल्कों की लागत और जनवरी 2018 तक ₹ 1.10 करोड़[26] के परिवहन शुल्क का भुगतान कपटपूर्ण था। साथ ही, झारक्राफ्ट बुनकरों के लिए 88,868 मानव-दिवसों[27] के रोजगार पैदा करने में विफल रहा, जैसा कि झारखण्ड सरकार द्वारा परिकल्पित था।

2.1.5 स्वयं-सहायता समूहों (एसएचजी)/ प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों (पीडब्ल्यूसीएस) द्वारा कंबल बुनाई

झारक्राफ्ट की कार्य आवंटन योजना[28] (डब्ल्यूएपी) के अनुसार, एक कंबल बुनाई के लिए 2.12 किग्रा ऊनी धागों की आवश्यकता थी और झारक्राफ्ट के आकलन के अनुसार, प्रति दिन प्रति हैंडलूम[29] 10 कंबल बुने जा सकते थे।

---

[23] ₹ 72 प्रति कि.ग्रा. की दर से

[24] 8,88,679 कंबल के लिए ₹ 5.67 करोड़ के दावे के खिलाफ ₹ 64.02 प्रति कम्बल की दर पर वास्तव में मजदूरी की भुगतान की गई

[25] ₹ 17.90 प्रति कंबल की दर से 8,88,679 कंबल तैयार करने के लिए ₹ 1.59 करोड़ के दावे का भुगतान

[26] ₹ 3.24 करोड़ के दावे के खिलाफ परिवहन शुल्क

[27] इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रति दिन एक दिन में 10 कंबल बुनाई जा सकती है, 8,88,679 कंबल बुनकरों के लिए 88,868 मानव-दिवस के रोजगार पैदा कर सकते थे

[28] कार्य आवंटन योजना (डब्ल्यूएपी) एसएचजी/ पीडब्लूसीएस को निर्गत किए गए धागे की प्रत्येक खेप के लिए तैयार की जाती है, जिसमे आपूर्ति की गई धागे की मात्रा, एसएचजी के साथ उपलब्ध लूमों की संख्या, एसएचजी द्वारा बुने जाने वाले कम्बलों की संख्या, मजदूरी इत्यादि दर्शायी जाती है

[29] अभिलेखों के अनुसार, झारक्राफ्ट के पास 62 क्लस्टरों में 683 हैंडलूम थे; हालांकि, डीजीएम हैंडलूम ने लेखापरीक्षा को क्लस्टर वार कुल 753 हैंडलूम के विवरण उपलब्ध कराये।

उपरोक्त के आधार पर, लेखापरीक्षा ने प्रत्येक एसएचजी/ पीडब्लूसीएस की बुनाई क्षमता का उनको उपलब्ध कराये गये धागे और उनके पास उपलब्ध हैंडलूम की संख्या पर विचार करते हुए विश्लेषण किया और झारक्राफ्ट द्वारा जेनेसिस सॉफ्टवेयर में संधारित भंडार खाते में निम्नलिखित कमियों को देखा जो यह दर्शाता था कि अभिलेख काल्पनिक थे:

✓ झारक्राफ्ट द्वारा 62 एसएचजी/ पीडब्ल्यूसीएस को 21.48 लाख किग्रा ऊनी धागों को वितरित (अक्टूबर 2016 से नवंबर 2017 के बीच) किया हुआ दर्शाया गया था जो 10,13,208 कंबल बनाने के लिए पर्याप्त था। जेनेसिस सॉफ्टवेयर के अनुसार, दिसंबर 2017 तक 16 एसएचजी/ डब्ल्यूसीएस के पास 1.32 लाख किलोग्राम ऊनी धागा अप्रयुक्त पड़ा हुआ था। इस प्रकार, अभिलेखों के अनुसार, एसएचजी/ पीडब्ल्यूसीएस ने कंबल के उत्पादन के लिए केवल 20.16 लाख किलोग्राम[30] ऊनी धागों का उपयोग किया और दिसंबर 2017 तक झारक्राफ्ट में 9,83,447 बुने हुए कम्बलों की आपूर्ति की, जबकि उपयोग किए गए धागे से केवल 9,50,944 कंबल[31] बुने जा सकते थे। अत:, एसएचजी/ पीडब्ल्यूसीएस बिना ऊनी धागे की उपलब्धता के 32,503 (9,83,447 - 9,50,944) कंबल का उत्पादन नहीं कर सकता था और कंबल के उत्पादन का झारक्राफ्ट का दावा संदिग्ध है।

13 एसएचजी/ पीडब्ल्यूसीएस के पास कोई धागा नहीं था जो उनके दावे को साबित करता कि उन्होंने 44,909 कम्बलों की आपूर्ति की।

✓ जेनेसिस सॉफ्टवेयर के अनुसार, 13 एसएचजी/ पीडब्ल्यूसीएस ने जून 2016 से दिसंबर 2017 के दौरान 24 अलग-अलग तिथियों पर 44,909 कम्बलों की आपूर्ति की। हालांकि, लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि इन एसएचजी/ पीडब्ल्यूसीएस के पास प्रासंगिक तिथियों पर कोई धागा उपलब्ध नहीं था और इसलिए, निर्दिष्ट तारीखों पर कंबल उपलब्ध नहीं कराया जा सकता था ***(परिशिष्ट 2.1.4)*** ।

✓ लेखापरीक्षा ने एसएचजी/ पीडब्ल्यूसीएस के पास उपलब्ध हैंडलूम की संख्या, उनके पास उपलब्ध ऊनी धागों और प्रति दिन प्रति हैंडलूम 10 कंबल की बुनाई की क्षमता के आधार पर उनके उत्पादन क्षमता की जांच की और पाया कि जून 2016 से दिसंबर 2017 के बीच 51 एसएचजी/ पीडब्लूसीएस ने अपनी उत्पादन क्षमता[32] से 3.72 लाख अधिक कम्बलों की आपूर्ति की थी ***(परिशिष्ट 2.1.5)*** ।

---

[30] 21.48 लाख किग्रा (-) 1.32 लाख किग्रा

[31] 20.16 लाख किग्रा ऊनी धागों से प्रति कंबल 2.12 किग्रा ऊनी धागे का उपयोग करके

[32] उत्पादन क्षमता की गणना एसएचजी/ पीडब्ल्यूसी के पास उपलब्ध दिन जिसके लिए ऊनी धागे उपलब्ध थे, एसएचजी/ पीडब्लूसीएस के पास उपलब्ध हैंडलूम की संख्या और प्रति दिन प्रति हैंडलूम 10 कम्बलों की बुनाई क्षमता को ध्यान में रखकर की गई थी

✓ जुलाई 2016 से दिसंबर 2017 के दौरान 3,73,970 कम्बलों की बुनाई की मजूदरी के रूप में ₹ 2.39 करोड़ बुनकरों के बैंक खातों में जमा करने के बजाय 27 एसएचजी/ पीडब्ल्यूसीएस के बैंक खातों में जमा किये गये। यद्यपि, प्रबंध निदेशक ने दावा[33] किया कि मजदूरी को एसएचजी/ पीडब्ल्यूसीएस के अध्यक्षों द्वारा नकद में आहरित कर बुनकरों को वितरित किया गया था, परन्तु बुनकरों को मजदूरी के इस तरह के भुगतान का कोई साक्ष्य नहीं था।

अत:, झारक्राफ्ट का यह दावा कि एसएचजी/ पीडब्ल्यूसीएस द्वारा 9.83 लाख कंबल बुने गए थे वह संदिग्ध है।

2.1.6 हैंडलूम की खरीद में अनियमितताएं

अभिलेखों में पाया गया कि मई 2016 और दिसंबर 2017 के बीच झारक्राफ्ट ने चार फर्मों[34] से ₹ 2.02 करोड़ की लागत से 633 हैंडलूम और सहायक उपकरण[35] खरीदे हालांकि अभिलेखों में यह दर्शाया गया कि इन हैंडलूम को 62 एसएचजी/ पीडब्ल्यूसीएस को वितरित किए गए थे, परन्तु, इन हैंडलूम की पहचान संख्या, स्थान और कार्यदशा की स्थिति के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य मौजूद नहीं था।

डीजीएम हैंडलूम द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध करायी गयी सूची के अनुसार, महुआटांड क्लस्टर के दो एसएचजी[36] को 30 नए हैंडलूम और सिथियो क्लस्टर के एक एसएचजी[37] को 20 हैंडलूम दिया गया था। यद्यपि, लेखापरीक्षा और झारक्राफ्ट अधिकारियों (प्रबंध निदेशक सहित) द्वारा इन क्लस्टरों के संयुक्त भौतिक सत्यापन (जनवरी 2018) में पाया गया कि महुआटांड के दोनों एसएचजी (दोनों एक ही छत के नीचे स्थित) में केवल आठ हैंडलूम थे, जिनमें से केवल चार हैंडलूम स्थापित और परिचालन के स्थिति में थे। सिथियो क्लस्टर में केवल पांच हैंडलूम थे (सभी स्थापित)।

[33] महुआटांड क्लस्टर की संयुक्त भौतिक जांच रिपोर्ट में

[34] ए.के.इंटरप्राइजेज, लातेहार; बुनकर सेवा, रांची; के.जी.एन. ट्रेडर्स, रामगढ; तथा एस. एच. ट्रेडर्स, लातेहार

[35] झारक्राफ्ट में पूर्व से मौजूद 50 हैंडलूम के अलावा.

[36] महुआटांड, लातेहार में हर्ष गरीब नवाज़ तथा हर्ष गाँधी

[37] सिथियो बुनकर सहयोग समिति, रांची

चित्र 2.1.2: महुआटांड एसएचजी में विघटित लूम

चित्र 2.1.3: महुआटांड एसएचजी में स्थापित लूम

इससे यह स्पष्ट है कि इन नमूना परीक्षित तीनों एसएचजी में उनके द्वारा दावा किये गये उत्पादन क्षमता का केवल 18 प्रतिशत ही उपलब्ध था; इसके अलावा, हैंडलूम की पूरी आपूर्ति को सुनिश्चित किये बिना ही आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान कर दिया गया।

उपरोक्त अवलोकनों से लेखापरीक्षा ने निष्कर्ष निकाला कि झारक्राफ्ट के अधिकारियों ने फर्जी अभिलेखों के सहारे 8.89 लाख कम्बलों के लिए ऊनी धागे (₹13.56 करोड़), मजदूरी (₹ 2.39 करोड़), परिष्करण (₹ 1.36 करोड़) और परिवहन (₹ 1.10 करोड़) के लिये ₹18.41 करोड़ व्यय का कपटपूर्ण भुगतान कर दिया।

लेखापरीक्षा अवलोकनों के आधार पर, विकास आयुक्त-सह-अध्यक्ष, निदेशक मंडल, झारक्राफ्ट ने सचिव, उद्योग, खनन और भूगर्भ विभाग, झारखण्ड सरकार को निर्देशित किया (मार्च 2018) कि चूँकि प्रथम दृष्ट्या इस मामले में सरकारी राशि के दुरुपयोग/गबन तथा आपराधिक इरादे से कागजी दस्तावेज तैयार कर सरकार और लोगों के साथ धोखाधड़ी करना शामिल है; अतः इसकी निगरानी जांच करायी जाए। विकास आयुक्त ने यह भी निर्देशित किया कि इस आपराधिक कार्य में शामिल जिम्मेदार अधिकारियों, एसएचजी/ पीडब्ल्यूसीएस और निजी पार्टियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की जाए तथा भुगतान की गयी राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए।

तदनुसार, उद्योग, खनन और भूगर्भ विभाग, झारखण्ड सरकार ने प्रमंडलीय आयुक्त, दक्षिण छोटानागपुर, रांची की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित (मार्च 2018) की। जुलाई 2018 तक जांच चल रही थी।

झारखण्ड पुलिस हाउसिंग निगम लिमिटेड

2.2 झारखण्ड पुलिस हाउसिंग निगम लिमिटेड (जेपीएचसीएल) का लेखापरीक्षा

जेपीएचसीएल के लेखापरीक्षा में निम्न अनियमितताएँ परिलक्षित हुए।

2.2.1 योग्यता नहीं रखने वाले निविदादाताओं को ₹ 4.87 करोड़ के निर्माण अनुबंध दे दिया गया

2.2.1.1 सीआरपीएफ मुख्यालय, लातेहार में निर्माण कार्य

जेपीएचसीएल ने (अगस्त 2013) केन्द्रीय रिजर्ब पुलिस बल (सीआरपीएफ) बटालियन मुख्यालय, लातेहार जिला के लिये दो निर्माण कार्य[38] मेसर्स सन इंडिया को क्रमश: ₹ 1.15 करोड़ एवं ₹ 1.40 करोड़ में आवंटित किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि निविदा के शर्तों के अनुसार, फर्म के पास उसके नाम से ₹ 0.83 करोड़ (प्रथम कार्य के लिए) और ₹ 1.01 करोड़ (द्वितीय कार्य के लिए) पूर्व-कार्य अनुभव[39] होना चाहिए था, साथ ही इन दो कार्यो के लिए ₹ 0.64 करोड़ एवं ₹ 0.78 करोड़ का अलग-अलग बैंकर्स प्रमाण-पत्र[40] समर्पित करना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि निम्न कारणों से सन इंडिया उक्त अहर्ता को पूरा नहीं करता था:

✓ कार्य अनुभव प्रमाण पत्र सन इंडिया के साझेदार श्री उदय प्रताप सिंह के नाम से था न कि स्वयं सन इंडिया के नाम से जो निविदा के शर्तों के तहत जरूरी था; इसके अलावा ₹ 0.99 करोड़ का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र द्वितीय कार्य (₹ 1.01 करोड़) के लिए अपर्याप्त था।

✓ निविदा मूल्यांकन समिति (टीईसी) बिना किसी प्राधिकार या कोई कारण उल्लेखित किये, निविदा शर्तों के अनुसार दो कार्यों के लिए बैंकर्स प्रमाण पत्र के राशि जो क्रमश: ₹ 0.64 करोड़ और ₹ 0.78 करोड़ थी, उसे घटाकर क्रमश: ₹ 0.32 करोड़ एवं ₹ 0.39 करोड़ कर दिया।

---

[38] मुख्यालय में चहारदिवारी, अपर सर्बोडिनेट/लोअर सर्बोडिनेट आवास रसोई और जलपानगृह का निमार्ण; और (2) 50 बिस्तर का बैरक, मैगजिन (अस्त्र एवं गोला बारूद भण्डार), सीआरपीएफ बटालियन में अधिकारी मेस का निमार्ण।

[39] निविदा के धारा 3.2 (बी) के अनुसार बोली लगाने वाले के पास हरेक कार्य के लिए उसके नाम का कार्य अनुभव होना चाहिए जो अनुमानित लागत के 65 प्रतिशत से कम का न हो।

[40] बैंक द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र जो वचन देता है कि अनुबंध के अन्तर्गत कार्य के लिए अपेक्षित कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराएगा। निविदा के धारा 3.4 (एफ) के अनुसार बोली लगाने वाले को तीन माह के अनुमानित पूँजी आवश्यकता के सममूल्य यथा अनुमानित लागत x माह/नियत समापन अवधि का बैंकर्स प्रमाण-पत्र जमा करना था।

कार्य अनुभव और बैंकर्स प्रमाण-पत्र संबंधित अहर्ता शर्तों को न पूरा करने के बावजूद मेसर्स सन इंडिया को ₹ 1.15 करोड़ और ₹ 1.40 करोड़ के अनुबंध मूल्य पर कार्यादेश निर्गत किया गया।

✓ सन इंडिया ने दोनों कार्यो के लिए एसबीआई, डाल्टनगंज शाखा से निर्गत ₹ 0.40 करोड़ का एक बैंकर्स प्रमाण पत्र समर्पित किया था, जो एक अलग फर्म सन इंडिया फार्मा के नाम से निर्गत था, जबकि हरेक कार्य के लिए निविदादाता के नाम का अलग-अलग बैंकर्स प्रमाण-पत्र की आवश्यकता थी।

सन इंडिया के योग्यता मानदण्ड पूरा न करने के बावजूद टीईसी[41] (18/20 जुलाई 2013) द्वारा इस फर्म को दोनों कार्य के लिए अनुशंसा किया गया।

जवाब में (अक्टूबर 2017), मुख्य अभियंता, जेपीएचसीएल ने कहा कि सन इंडिया ने ₹ 1.66 करोड़ का कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र समर्पित किया था जो दोनों कार्यों के अहर्ता के लिए पर्याप्त था, जिसे मानवीय भूल के कारण तकनीकि मूल्यांकन के लिए तुलनात्मक विवरणी में शामिल नहीं किया जा सका। साथ ही, ₹ 0.32 करोड़ एवं ₹ 0.39 करोड़ के योग्यता मानदण्ड के विरूद्ध सन इंडिया ने क्रमश: ₹ 0.40 करोड़ एवं ₹ 0.50 करोड़ का अलग-अलग बैंकर्स प्रमाण-पत्र समर्पित किया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं पाया गया कि सन इंडिया ने ₹ 1.66 करोड़ का कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र समर्पित किया था। साथ ही टीईसी ने अपना निर्णय ₹ 0.99 करोड़ की कम राशि का कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र के आधार पर लिया या (जो अपर्याप्त था) न कि उच्च राशि पर जिसे अभी दावा किया गया। इसके अतिरिक्त टीईसी द्वारा ₹ 0.40 करोड़ का एक बैंकर्स प्रमाण-पत्र स्वीकार किया गया जो दोनो कार्यों की योग्यता मानदण्ड को पूरा नहीं करता था। इसके अतिरिक्त ₹ 1.66 करोड़ का कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र और ₹ 0.50 करोड़ का बैंकर्स प्रमाण-पत्र जिसे सुपूर्द किया जाने का प्रबंधन ने दावा किया, क्रमश: श्री उदय प्रताप सिंह एवं मेसर्स सन इंडिया फार्मा के नाम पर था जबकि इन्हें निविदा के शर्तों के अनुरूप मेसर्स सन इंडिया के नाम पर होना था।

2.2.1.2 खुँटी पुलिस स्टेशन में आवासों का निर्माण

जेपीएचसीएल ने खुँटी पुलिस स्टेशन में 16 लोअर सबोर्डिनेट आवास का निर्माण कार्य मेसर्स राज कुमार साहु को ₹ 0.95 करोड़ में आंवितत किया (जून 2012)। लेखापरीक्षा ने पाया कि फर्म ने एक ₹ 0.10 करोड़ का नकली

[41] श्री ए.ई. भेंगड़ा (ईई), श्री आर.एन. तिवारी (एई), श्री राजेश कुमार (एई), श्री ए.के. झा (एई) और श्री एम.जे कण्डुलना (लेखापाल) शामिल थे।

बैंक बैलेंस प्रमाण-पत्र[42] जमा किया था जिसमे राशि बदलकर ₹ 0.40 करोड़ लिखा[43] हुआ प्रतीत हो रहा था और जिसकी निर्गत तिथि (7 सितम्बर 2011) निविदा खुलने के पहले (20 अप्रैल 2012) का था। बावजूद इसके, टीईसी[44] ने अयोग्य फर्म की अनुशंसा (18 मई 2012) की।

उत्तर में (अप्रैल 2017) लेखा अधिकारी, जेपीएचसीएल ने बतलाया कि बैंक से सम्पर्क किया गया जिसने इस प्रमाण-पत्र के सत्यता की पुष्टि की परन्तु नया प्रमाण-पत्र निर्गत करने से मना कर दिया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि बैंक से इससे संबंधित पत्राचार का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

2.2.1.3 गुडा पिकेट और कराडुवा के सीआरपीएफ कैंप में निर्माण

जेपीएचसीएल ने मेसर्स सीएस इन्जिनियरिंग को दो निमार्ण कार्य[45] प्रत्येक ₹ 0.56 करोड़ में आंवटित किया (अक्टूबर 2013)। निविदा में वर्णित योग्यता मानदण्ड के अनुसार, फर्म को प्रत्येक कार्य के लिए ₹ 0.55 करोड़ का बैंकर्स प्रमाण-पत्र समर्पित करना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि टीईसी बिना किसी प्राधिकार या कोई कारण उल्लेखित किये बैंकर्स प्रमाण-पत्र के लिए आवश्यक राशि घटाकर प्रत्येक कार्य के लिए ₹ 0.14 करोड़ कर दिया। इसके अलावा, फर्म ने केनरा बैंक द्वारा निर्गत ₹ 0.15 करोड़ का एक साल्वेंसी प्रमाण-पत्र[46] समर्पित किया न कि बैंकर्स प्रमाण-पत्र। बावजूद इसके, टीईसी[47] (23 जुलाई 2013) ने अयोग्य फर्म की अनुशंसा की।

---

[42] बैंक शेष प्रमाण-पत्र के अनुसार मेसर्स राज कुमार साहु बैंक के ग्राहक हैं और ₹ 0.10 करोड़ का शेष रखते हैं जबकि बैंकर्स प्रमाण-पत्र के मानक प्रारूप दर्शाता है कि अगर बोली लगाने वाले के साथ अनुबंध (कार्य का नाम) किया जाता है तो बैंक अनुबंध में अपेक्षित ₹ 0.29 करोड़ तक का कार्यशील पूँजी उपलब्ध करवाएगा।

[43] राशि ₹ 10,24844 को बदलकर ₹ 40,24,844 लिखा गया था।

[44] श्री एस.आर. सिन्हा (सीई), श्री ए.के. झा (एई), और श्री एक के सिन्हा (लेखा अधिकारी), शामिल थे।

[45] (1) सीआरपीएफ कैम्प, गुडा पिकेट मे बैरक, किचन एवं जलपानगृह, अधिकारी गृह इत्यादि का निर्माण कार्य और (2) पूर्व सिंहभूम जिला के सीआरपीएफ कैम्प, कराडुवा में बैरक, उच्च जल टैंक का निर्माण कार्य।

[46] साल्वेंसी प्रमाण-पत्र के अनुसार मेसर्स सीएस इन्जिनियरिंग बैंक का ग्राहक है और ₹ 0.15 करोड़ का शेष रखता है वहीं बैंकर्स प्रमाण-पत्र के मानक प्रारूप दर्शाता है कि अगर अनुबंध किया जाता है (कार्य का नाम) तो बैंक अनुबंध में अपेक्षित कार्यशील पूँजी के लिये ₹ 0.55 करोड़ तक का उधार सुविधा उपलब्ध करवाएगा।

[47] श्री ए.ई. भेगरा (ईई), श्री आर.एन तिवारी (एई) श्री राजेश कुमार (एई) , श्री ए.के. झा (एई) और श्री एम.जे कण्डुलना (लेखापाल) शामिल थे।

मुख्य अभियन्ता, जेपीएचसीएल ने अपने उत्तर में (अक्टूबर 2017) बतलाया कि फर्म ने ₹ 0.15 करोड़ का बैंकर्स प्रमाण-पत्र प्रत्येक कार्य के लिए समर्पित किया था। उपर वर्णित कारणों से उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं।

2.2.1.4 चाइबासा पुलिस लाईन में निमार्ण एवं अन्य कार्य

जेपीएचसीएल ने पश्चिम सिंहभूम जिला में चाइबासा पुलिस लाइन में निमार्ण एवं अन्य कार्य मेसर्स कृष्णा ग्रुप को ₹ 25.14 लाख में आंवटित किया (दिसम्बर 2012)। लेखापरीक्षा ने यह देखा कि निविदा में वर्णित योग्यता मानदण्ड के अनसार फर्म को ₹ 6.29 लाख का बैंकर्स प्रमाण-पत्र समर्पित करना था। इसके जगह फर्म ने सिर्फ ₹ 10,000 का बैंक बैलेंस प्रमाण-पत्र समर्पित किया, परन्तु टीईसी[48] ने निविदा मुल्यांकन विवरणी में गलत तरीके से बतलाया कि फर्म ने ₹ 10 लाख का बैंकर्स प्रमाण-पत्र समर्पित किया और अयोग्य फर्म को योग्य करार दे दिया (14 नवम्बर 2012)।

लेखा अधिकारी, जेपीएचसीएल ने उत्तर (अप्रैल 2017) में बतलाया कि मेसर्स कृष्णा ग्रुप के ₹ 10 लाख का बैंकर्स प्रमाण-पत्र का पठन योग्य प्रति एसबीआई, हिनू शाखा से अब प्राप्त कर लिया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निविदा के साथ समर्पित एसबीआई, लालपुर द्वारा निर्गत ₹ 10,000 का बैंक बैलेंस प्रमाण-पत्र जो कि निविदादाता के द्वारा निविदा के साथ समर्पित किया गया था पूर्णत: पठन-योग्य था, हालांकि निविदा मूल्यांकन समिति ने गलत तरीके से निविदा मूल्यांकन में इस बैंक बैलेंस प्रमाण-पत्र को ₹ 10 लाख का बतलाया। इसके अलावा, एसबीआई हिनू शाखा द्वारा निर्गत बतलाया जाने वाला ₹ 10 लाख का बैंकर्स प्रमाण-पत्र वास्तव में एक साल्वेंसी प्रमाण-पत्र है न कि निविदा शर्त के अनुसार विहित प्रारूप में निर्गत बैंकर्स प्रमाण-पत्र।

इस तरह जेपीएचसीएल ने अयोग्य संवेदको को ₹ 4.87 करोड़ का निमार्ण कार्य आंवटित किया।

इस मामले को गृह विभाग को अगस्त 2017 में सूचित किया गया। उत्तर अप्राप्त है।

[48] श्री एस.आर. सिन्हा (सीई), श्री आर.एन तिवारी (एई), श्री राजेश कुमार (एई), श्री एम.जे कण्डुलना (लेखापाल) शामिल थे।

अनुशंसा

गृह विभाग को, निविदा मूल्यांकन समिति के सदस्य जिन्होने गलत ढ़ंग से अयोग्य बोली लगाने वालों को योग्य करार दिया, के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।

2.2.2 मानक कार्यविधि के न बनाये जाने से निर्माण सामग्री का परीक्षण परिणाम विश्वसनीय नहीं होना

जेपीएचसीएएल के निविदा में वर्णित मानक शर्त के अनुसार संवेदक को निमार्ण कार्य में प्रयुक्त सामग्री (सीमेन्ट, बालू, ईटा इत्यादि) का गुणवत्ता प्रमाण-पत्र[49] झारखण्ड सरकार की संस्था, बिरसा इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी (बीआईटी) से प्राप्त करना होता है।

कंपनी द्वारा निमार्ण कार्य की अनुबंधों में गुणवत्ता जाँच रिपोर्ट भरोसेमंद नहीं थे क्योंकि जाँच नमूना को ढ़लाई के दिन या उससे पहले के दिवस में भेजा गया दर्शाया गया था।

ढ़लाई नमुना[50] की गुणवत्ता जाँच क्योरिंग के प्रक्रिया से होती है जिसमें जाँच नमूनों को पहले 24 घण्टों तक नम हवा में रखा जाता है और फिर गुणवत्ता जाँच के पहले तक ताजा पानी में डुबा कर रखा जाता है (सीपीडब्लूडी कंक्रीट कार्य विशिष्टीकरण)।

दो कार्यो[51] से संबंधित 20 जाँच नमूनों के अभिलेखों की जाँच (सितम्बर 2016 से जून 2017) से यह प्रकट हुआ कि 18 नमूनों को ढ़लाई के दिन ही संबंधित सहायक अभियन्ता (एई) द्वारा बीआईटी सिन्दरी को भेज दिया गया था और दो नमूने को ढ़लाई की तिथि से चार से 21 दिन पहले भेजा हुआ दर्शाया गया था। पुन: संबंधित एई ने नमूनों का प्रेषण और प्रयोगशाला से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन प्राप्ति का कोई अभिलेख (यथा, निर्गम पंजी, प्राप्ति पंजी इत्यादि) संधारित नहीं किया था।

मुख्य अभियन्ता, जेपीएचसीएल ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2017) में बतलाया कि कुछ मामलों में क्युब परीक्षण के लिए भेजे गये पत्र संबंधित एई द्वारा ढ़लाई की निर्धारित तिथि से पहले की तिथियों में निर्गत कर दिया गया था परन्तु ये पत्र ढ़लाई हो जाने के बाद ही प्रेषित किये गये थे।

---

[49] गुणवता जाँच नमूना को एई, जेपीएचसीएल ने बीआईटी सिन्दरी को अपने संदेशवाहक के द्वारा भेजा और जाँच रिपोर्ट बीआईटी सिन्दरी द्वरा कार्यपालक अभियन्ता, जेपीएचसीएल को भेजा गया हालॉकि जाँच का खर्च संवेदक द्वारा वहन किया गया।

[50] ढ़लाई के समय संगृहीन कंक्रीट क्युब।

[51] (i) ₹ 22.19 करोड़ लागत का कान्सटेबल प्रशिक्षण स्कूल में प्रशासनिक सह प्रशिक्षण भवन (ii) ₹ 16.41 करोड़ लागत का कान्सटेबल प्रशिक्षण स्कूल, मुसाबनि में 250 शश्या का छात्रावास (ब्लॉक - 1 और 2)।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी ने प्रेषण पंजिका नहीं रखा है, जिसमें जाँच नमूने को वास्तविक प्रेषित दर्शाया गया हो और एई द्वारा क्युब जाँच के लिए निर्गत पत्र के कार्यालय प्रति भी यह दर्शाता है की जाँच के लिये नमूना ढ़लाई के दिन या ढ़लाई के पहले भेजा गया था यद्यपि इन्हे कम से कम 24 घंटे क्योरिंग के बाद ही भेजा जा सकता था।

अनुशंसाएँ

1. **कंपनी को गुणवत्ता जाँच रिपोर्ट में संभावित फेर-बदल की छानबीन करनी चाहिए और जिम्मेदार पाये गये अधिकारी एवं संवेदक के खिलाफ कठोर कदम उठाने चाहिए।**
2. **कंपनी को सामग्रियों की जाँच के प्रत्येक चरण यथा कार्यस्थल पर जाँच नमूनों का संधारण, उनका प्रयोगशाला भेजना, जाँच रिपोर्ट प्राप्ति और इसके प्रलेखन का मानक निर्धारण करना चाहिए।**

2.2.3 ₹ 5.03 करोड़ आयकर का परिहार्य भुगतान

भारत सरकार के योजना राशि से अर्जित ₹ 15.33 करोड़ ब्याज को कंपनी द्वारा अपने आय में गलत ढ़ग से लेने से ₹ 5.03 करोड़ का परिहार्य आयकर भुगतान।

सामान्य वित्त नियम (जीएफआर), 2017 के धारा 230 (8) के अनुसार किसी अनुदान ग्राही संस्था के अनुपयोगित अनुदान या विमुक्त अन्य अग्रिम पर अर्जित ब्याज संबंधित अनुदान प्रदाता को लौटा दिया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी भारत सरकार से प्राप्त राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण मद में प्राप्त ₹ 20 करोड़ के निवेश पर ₹ 15.33 करोड़[52] का ब्याज अर्जित किया और गलत ढंग से इसे अपना आय माना जिसके फलस्वरूप ₹ 5.03 करोड़[53] आयकर का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

अुनशंसा

कंपनी को परियोजना निधि पर अर्जित ब्याज को परियोजना खाते मे जमा कर देना चाहिए या इसे सरकार को दे देना चाहिए ताकि उस आय पर आयकर भुगतान से बचा जा सके जो खुद का नहीं है।

---

[52] (i) फरवरी 2009 से फरवरी 2017 अबधि के ₹ 15 करोड के साबधि जमा की राशि पर ₹ 11.90 करोड का ब्याज अर्जित किया और दिसम्बर 2008 से दिसम्बर 2016 अबधि मे ₹ पाँच करोड के सावधि जमा की राशि पर ₹ 3.43 करोड का ब्याज अर्जित किया।

[53] संबंधित वर्ष के आयकर दर से निकाला गया।

उपरोक्त लेखापरीक्षा निष्कर्ष योजनाओं/ कार्यों के नमूना जाँच पर आधारित है और इस प्रकृति का निष्कर्ष अन्य योजनाओं/ कार्यों में भी पाया जा सकता है, अत: कम्पनी अपने द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे अन्य सभी योजनाओं/ कार्यों की आंतरिक परीक्षण करा सकती है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि इन्हें आवश्यकता के अनुरुप एवं नियमानुसार कराया जा रहा है।